की ओर से अपने इलाज से सम्बधित उपचार पत्र भी दिनांक 19.03.2020 से पूर्व के नहीं हैं अपितु पश्चात्वर्ती हैं तथा इन उपचार पत्रों से भी यह नहीं माना जा सकता कि वह किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में दिनांक 19.03.2020 को उपस्थित आने में असमर्थ रहा हो। जहां तक आदेश 9 नियम 3 (1–ग) के प्रावधानों का प्रश्न है यह प्रावधान उसी स्थिति में लागू हो सकते हैं जबकि नोटिस युक्तियुक्त समय में जारी नहीं हुआ हो बल्कि इस प्रकरण में तारीख पेशी 19.03.2020 के लिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 11.02.2020 को प्रेषित किया जा चुका था। प्रार्थी उक्त विधिक स्थिति अनुसार अपने पक्ष में मामला साबित करने में असफल रहा है। जहां तक मियाद का प्रश्न है, यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के कारण मियाद अवधि को अपवर्जित करने का निर्णय लिया है लेकिन प्रार्थी ने इस आधार पर विलम्ब को माफ करने हेतु प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी पर नियमानुसार तामील हुई है तथा प्रार्थना–पत्र में वर्णित आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः प्रार्थी–भोलाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो।

आदेश आज दिनांक 01.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.03.30 15:59:43 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner